23/3/2022 - पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उप०।
प्रार्थी का प्रा०पत्र स्वीकार किया जाता है.
विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर
सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर
दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
डेगाना (नागोर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डेगाना (नागौर) राज0

पीठासीन अधिकारी – मुकेश चौधरी आर.ए.एस.

प्रार्थना–पत्र संख्या – 54/2021

प्रार्थी – नाथूराम पुत्र किशनाराम जाति खाती निवासी तिलानेस तहसील डेगाना जिला नागौर राज0

बनाम

अप्रार्थी – 1. तहसीलदार डेगाना।

2. मीरादेवी पत्नी सुखाराम जाति जाट निवासी तिलानेस तहसील डेगाना जिला नागौर राज0

3. नारायणसिंह पुत्र छोगसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी तिलानेस तहसील डेगाना जिला नागौर राज0

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

अधिवक्ता प्रार्थी –श्री छोटूराम बैड़ा

दिनांक 23.3.2022

–:: आदेश ::–

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व अप्रार्थी प्रस्तुत किया है जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम तिलानेस तहसील डेगाना की सरहद में खेत पुराने खसरा नंबर 159 रकबा 19.04 बीघा जमीन आई हुई है। उक्त खसरा नंबर 159 में से उस समय के खातेदार से प्रार्थी ने रकबा 1.10 बीघा जमीन जरिये रजिस्टर्ड बैचान के दिनांक 13.05.1996 को क्रय की थी जो जमीन प्रार्थी ने इस खसरा में से पूर्वी–दक्षिणी कोने की क्रय की थी जिसका विवरण बैचान दस्तावेज में दर्ज है व प्रार्थी के नाम से नामान्तकरण भरा जाकर खातेदारी दर्ज हुई जिसमें खसरा नंबर 159/1 दर्ज किये गये व खसरा नंबर 159/1 के नये खसरा नंबर (187) 0.2400 हैक्टेयर है। इस जमीन के मौके पर पड़ौस निम्न प्रकार है – उत्तर में अप्रार्थी संख्या 3 नारायणसिंह की जमीन खसरा नंबर 887/188, दक्षिण में खसरा नंबर 201 की जमीन जो गंगाबिशन जोशी की है, पूर्व में आम सड़क एवं पश्चिम में दीपाराम गौदारा की जमीन है। इस जमीन पर क्रय करने के पश्चात् से ही मौके पर प्रार्थी का कब्जा काश्त चला आ रहा है। खातेदार अप्रार्थी संख्या 2 मीरादेवी से अप्रार्थी संख्या 3 नारायणसिंह ने पुराने खसरा नंबर 159 में से 0.10.5 बीघा जमीन जरिये रजिस्टर्ड बेचान दिनांक 13.11.2009 को क्रय की है व नारायणसिंह की जमीन के वर्तमान खसरा नंबर 837/188 रकबा 0.0900 हैक्टेयर है। नारायणसिंह द्वारा खरीदी गई जमीन पूर्वी दक्षिणी भाग में है तथा उसी पर उनका कब्जा है। प्रार्थी द्वारा खरीदी गयी जमीन का नक्शा ट्रेस में

दक्षिणी दिशा में तरमीम करना था लेकिन राजस्व नक्शा में गलती से प्रार्थी की जमीन का गलत तरमीम कर दिया जो गलत है जबकि बैचान दस्तावेज में प्रार्थी की क्रय सुदा जमीन दक्षिणी दिशा में बताई गई है जो बैचान दस्तावेज की प्रति संलग्न है। अप्रार्थी संख्या 3 ने जो जमीन क्रय की वो जमीन प्रार्थी की क्रय सुदा जमीन से उत्तरी दिशा में है जिसके खसरा नंबर 837/188 है लेकिन जहॉ प्रार्थी का कब्जा है उस जगह अप्रार्थी संख्या 3 की जमीन का तरमीम कर दिया जिससे उक्त ट्रेस नक्शा को दुरूस्त किया जाकर प्रार्थी की जमीन खसरा नंबर 187 रकबा 0.2400 हैक्टेयर का तरमीम मूल खसरा नंबर 159 के दक्षिणी दिशा में तरमीम किया जाना आवश्यक है व खसरा नंबर 837/188 का तरमीम प्रार्थी की जमीन से उत्तरी दिशा में किया जाना आवश्यक है व अप्रार्थी संख्या 2 की जमीन खसरा नंबर 188 की तरमीम खसरा नंबर 187 के स्थान पर किया जाना आवश्यक व न्यायोचित है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम तिलानेस के खसरा नंबर 187 की तरमीम खसरा नंबर 837/188 व खसरा नंबर 188 की दक्षिणी दिशा की जमीन पर प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 1 में बताये पड़ौस बीच की जमीन पर किया जावे व खसरा नंबर 837/188 की जमीन की तरमीम प्रार्थी की जमीन से उत्तर दिशा में किया जावे व खसरा नंबर 188 की जमीन की तरमीम खसरा नंबर 187 जो ट्रेस नक्शा में दर्ज है उस जगह तरमीम कर राजस्व ट्रेस नक्शा में दर्ज है, उस जगह तरमीम कर राजस्व ट्रेस नक्शा दुरूस्त फरमाया जावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को वास्ते जवाबदेही जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 ने प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर इकबाली जवाब दावा पेश किया है। अप्रार्थी संख्या 1 ने जवाब पेश कर निवेदन किया है कि खसरा नंबर 159/1 नये खसरा नंबर 187 की तरमीम दक्षिणी पूर्वी कोने पर की जानी थी। सहवन से उक्त तरमीम उत्तरी पूर्वी कौने में कर दी गई। अप्रार्थी संख्या 1 ने अपनी रिपोर्ट में वर्तमान नक्शा ट्रेस व मौके की स्थिति का नजरी नक्शा भी अंकित किया है। रिपोर्ट पर प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 2 व 3 के सहमति के हस्ताक्षर भी है।

अधिवक्ता उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का कथन है कि उसके द्वारा राजस्व ग्राम तिलानेस के खसरा नंबर 159 रकबा 19.04 बीघा में 1.10 बीघा भूमि पूर्वी–दक्षिणी कोने में क्रय की थी जिसकी पुष्टि प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत रजिस्टर्ड बैचान दस्तावेज दिनांक 13.05.1996 की प्रति के अवलोकन से होती है। भूमिधारी तहसीलदार डेगाना ने भी यह स्वीकार किया है कि प्रार्थी की भूमि खसरा नंबर 159/1 नये खसरा नंबर 187 की तरमीम दक्षिणी पूर्वी कोने में होनी चाहिये तथा सहवन से उत्तरी पूर्वी कोने में तरमीम कर दी गई है। तहसीलदार डेगाना ने तरमीम दुरूस्ती किये जाने की अनुशंषा की है। अप्रार्थीगण संख्या 2 व 3 ने भी अपनी सहमति प्रदान की है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों, अप्रार्थीगण की सहमति एवं भूमिधारी की अनुशंषा के आधार पर स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम तिलानेस तहसील डेगाना के खसरा नंबर 187 रकबा 0.2400 हैक्टेयर, खसरा नंबर 837/188 रकबा 0.0900 हैक्टेयर व खसरा नंबर 188 रकबा 0.6100 हैक्टेयर भूमि का तहसीलदार डेगाना द्वारा प्रस्तुत जवाब में दर्शित मौका स्थिति के नजरी नक्शे अनुसार किया जाकर रेकर्ड दुरूस्त किया जावे। तहसीलदार डेगाना का जवाब

आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। खातों की शेष प्रविष्टियां पूर्ववत रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 23.3.2022 को मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश चौधरी)
सहायक कलेक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
डेगाना (नागौर)

सहायक कलेक्टर
एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी